तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /3967/ 2006/जयपुर** **सरकार बनाम काना वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-7-25	**एकलपीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित —— **आदेश** 1. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स अति0 जिला कलेक्टर द्वितीय जयपुर ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 26—5—06 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है। 2. रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार फागी ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अति0 जिला कलेक्टर, द्वितीय जयपुर को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम दौसरा तहसील फागी की (खतौनी बंदोबस्त) जमाबंदी सं. 2011 से 2014 के अनुसार खसरा नंबर 129/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 400 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 403 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री देव जी पुजारी पन्ना पुत्र गोविंदा कौम चमार साकिन देह दर्ज रिकार्ड थी। नामांतरकरण सं. 476 एवं विरासत नामांतरकरण सं. 559 द्वारा काना, हरनाथ, प्रभू पिसरान श्योकरण कौम बैरवा साकिन देह के नाम दर्ज किया गया। नामांतरकरण सं. 607 अनुसार उक्त भूमि जयपुर जिला विकास बैंक लि0 शाखा फागी के नाम रहन दर्ज है। विवादित आराजी माफी मंदिर श्री देवजी की आराजी है तथा माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। मन्दिर माफी की भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना अवैध है। उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर वादग्रस्त भूमि को वापिस माफी मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार द्वारा रेफेरेंस प्रकरण अति0 जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया। जिला कलेक्टर जयपुर द्वितीय द्वारा उक्त रेफरेंस प्रकरण स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को माफी मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है। 3. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का अभिकथन है कि विवादित भूमि माफी मंदिर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। जो बिना किसी सक्षम आदेश के अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और माफी मन्दिर विराजमान शाश्वत	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
रेफरेन्स / एल.आर. /3967/ 2006/जयपुर
सरकार बनाम काना वगैरह</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी मन्दिर के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

4. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। एकतरफा कार्यवाहीं अमल में लाई गई।

5. उप राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड अनुसार ग्राम दौसरा तहसील फागी की (खतौनी बंदोबस्त) जमाबंदी सं. 2011 से 2014 के अनुसार खसरा नंबर 129/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 400 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 403 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री देव जी पुजारी पन्ना पुत्र गोविंदा कौम चमार साकिन देह दर्ज रिकार्ड है। नामांतरकरण सं. 476 एवं विरासत नामांतरकरण सं. 559 द्वारा काना, हरनाथ, प्रभू पिसरान श्योकरण कौम बैरवा साकिन देह के नाम दर्ज किया गया। नामांतरकरण सं. 607 के अनुसार उक्त भूमि जयपुर जिला विकास बैंक लि0 शाखा फागी के नाम रहन दर्ज है। जबकि उक्त भूमि जमाबंदी संवत् 2011 से 2014 में माफी मंदिर श्री देवजी के नाम दर्ज थी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी (खतौनी बंदोबस्त) जमाबंदी सं. 2011 से 2014 के अनुसार माफी मंदिर श्री देव जी की खुदकाश्त की आराजी होना स्पष्ट है। जो बिना किसी सक्षम आदेश के अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कालांतर में जमाबंदी एंव राजस्व रिकोर्ड में बिना किसी सक्षम व विधिक आदेश के मंदिर मूर्ति की भूमि की खातेदारी समाप्त कर निजी खातेदारी में दर्ज कर दी जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्ध है।

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के</td><td></td></tr>
</table>

अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थीगण के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अत0 जिला कलेक्टर जयपुर द्वितीय ने रिकोर्ड का पूर्ण परीक्षण कर विधि संगत निष्कर्ष पर पहुंचकर निर्णय पारित किया है। अतः रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. निष्कर्षतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी को पुनः ''माफी मंदिर श्री देवजी वाके देह'' के नाम पूर्ववत बतौर खातेदार दर्ज करने एवं सुसंगत समस्त राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य